भा कृ अनु प - केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,
अविकानगर, मालपुरा 304501

फा.सं. संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन/2017/ दिनांक : 24.07.2019

परिपत्र

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

किन्तु यह देखा गया है कि संस्थान के कई प्रभागों/अनुभागों में प्रक्रिया संबंधी साहित्य यथा विभिन्न प्रकार के फार्म आदि केवल अंग्रेजी अथवा हिंदी में ही प्रयोग किये जा रहे हैं। संसदीय राजभाषा समिति तथा राजभाषा विभाग द्वारा निरीक्षणों के दौरान राजभाषा संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है।

संस्थान द्वारा मुद्रित कराये जाने वाले प्रक्रिया संबंधी साहित्य यथा फाइलों, फोल्डरों, विभिन्न प्रकार के फार्म, लिफाफे, नोट पैड, पत्र शीर्ष, रबड़ की मोहरों, सीलों आदि को आवश्यक रूप से द्विभाषी रूप में बनवाया जाना आवश्यक है। सभी प्रभागाध्यक्षों अनुभाग प्रभारियों द्वारा कृपया उक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(नवीन कुमार यादव)
सहायक निदेशक (रा भा)

प्रतिः–

1. निदेशक के निजी सचिव।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
3. सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी।
4. प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन अनुभाग प्रथम।
5. प्रशासनिक अधिकारी, क्रय एवं भंडार अनुभाग।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी।
7. अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी गड़सा, बीकानेर/मन्नवनूर क्षेत्रीय स्टेशन/केन्द्र ।
8. प्रभारी ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाइट पर अपलोड़ करने के अनुरोध के साथ।
9. रक्षित पत्रावली।

भा कृ अनु प - केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,
अविकानगर, मालपुरा 304501

फा.सं. संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन/2017/ दिनांक : 26.07.2019

परिपत्र

यह जानकारी में आया है कि कुछ प्रभागों/अनुभागों में प्रयुक्त की जाने वाली रबड़ की मोहरें केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी में ही बनी हुई हैं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुपालन में समस्त रबड़ की मोहरें द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) में बनी होनी चाहियें।

जिन प्रभागों/अनुभागों में द्विभाषी रबड़ की मोहरें बनानी अपेक्षित हैं वे संस्थान के राजभाषा अनुभाग में मोहरों का मसौदा हिंदी एवं अंग्रेजी में राजभाषा अनुभाग के ई–मेल पते : **hindi.cswri@gmail.com** पर 10 दिवस के भीतर ई–मेल द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली नेमी (Rountine) कार्यों से संबंधित रबड़ की मोहरें तथा सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियों से संबंधित रबड़ की मोहरें भी बनवाई जा सकती हैं।

(नवीन कुमार यादव)
सहायक निदेशक (रा भा)

प्रतिः–

1. निदेशक के निजी सचिव।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
3. सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी।
4. प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन अनुभाग प्रथम।
5. प्रशासनिक अधिकारी, क्रय एवं भंडार अनुभाग।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी।
7. प्रभारी ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाइट पर अपलोड़ करने के अनुरोध के साथ।
8. नोटिस बोर्ड।
9. रक्षित पत्रावली।